पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी/अपीलांट वादग्रस्त आराजी का टिनेन्ट न होने के बावजूद अपना वाद पत्र स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष प्राप्ति हेतु विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया है जबकि धारा 188 के प्रावधानों के तहत स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र टिनेन्ट ही प्रस्तुत कर सकता है । अधी0न्याया0 ने वादी का वाद स्पष्टतया धारा 188 राज0काश्त0अधि0 विधि से वर्जित होने के कारण खारिज किया है जिसमें अधी0न्याया0 ने कोई त्रुटि नहीं की है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि वादी को वादग्रस्त आराजी के खातेदार ''दरगाह ख्वाजा साहब'' की ओर से वाद पत्र पेश करने हेतु अधिकृत किया गया हो, ऐसा कोई दस्तावेजी भी पत्रावली पर मौजूद नहीं है। इस कारण वादी/अपीलांट को प्रतिवादी के विरूद्ध वादकारण भी उत्पन्न नहीं होता है । चूंकि विधि द्वारा यह सुस्थापित है कि जहां कोई वादपत्र बगैर वादकारण के अथवा विधि द्वारा वर्जित है, या तुच्छ, निरर्थक प्रतीत हो रहा है वहां न्यायालय ऐसे वादपत्र को आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 या स्वंय में अंतर्निहित शक्तियों के तहत किसी भी स्तर पर खारिज करने हेतु सक्षम है। विद्वान अधी0न्याया0 ने उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर वादी/अपीलांट का वाद प्रारंभिक स्तर पर खारिज किया है जिसमें हमें कोई विधिक त्रुटि प्रकट नहीं होती है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.7.2017 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 13.9.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर